निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 618) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

19 मई 2017

सं० 22/नि0सि0(वीर०)–07–01/12–704—श्री चंद्रशेखर पासवान, तत0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 2011–12 में कोशी बराज के U/S में प्रस्तावित चैनल एवं वेलमाउथ में जमे सिल्ट का ड्रेजींग कर हटाने के कार्य में बरती गयी अनियमितता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–872, दिनांक 04.07.14 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की विभाग के स्तर पर समीक्षा की गयी। विभागीय समीक्षोपरांत श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 741 दिनांक 27.03.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

"जब आप जल संसाधन विभाग, वीरपुर में मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थापित थे तब कोशी बराज U/S में प्रस्तावित पायलट चैनल एवं वेल माउथ में जमें silt हटाने के कार्य में हुई अनियमितता की जाँच विभागीय निदेश के आलोक में उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त कार्य एकरारनामा सं०–01SBD/2010-11 के शर्त के अनुसार Even विपत्र की जाँच Ocean Engineering Department IIT Madras/Bombay/Kharagpur से सत्यापन कराने का प्रावधान था। परंतु एकरारनामा शर्त्तो का अनुपालन नहीं करते हुए तत0 कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर द्वारा सेक्शनल मेजरमेंट के आधार पर भुगतान किया गया है।

Ocean Engineering Department IIT Madras/Bombay/Kharagpur से शर्त्तो के अनुसार तत0 कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी जबकि आप सक्षम प्राधिकार थे।

इस प्रकार एकरारनामा शर्त के अनुसार Even विपत्र की जाँच हेतु कार्रवाई नहीं करने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1060, दिनांक 09.06.16 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि श्री पासवान द्वारा निम्न का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है :–

श्री पासवान का कहना है कि तत0 कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर द्वारा एकरारनामा शर्त्त के अनुसार नामित संगठन को Even विपत्र की जाँच हेतु पत्र लिखा गया। इस संबंध में Ocean Engineering द्वारा Even विपत्र की जाँच हेतु अपने पत्रांक 1556, दिनांक 12.06.11 द्वारा अधीक्षण अभियंता बराज अंचल, वीरपुर को उनके स्तर से कार्रवाई करने हेतु पत्र दिया गया। परंतु उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

IIT एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसमें मुख्य अभियंता के ऊपर के विभागीय स्तर के अधिकारी द्वारा Even विपत्र की जाँच हेतु पत्र लिखा जाना चाहिए था जो उनके स्तर से भी नहीं किया गया। जबकि मुझे सक्षम प्राधिकार कहकर दोषी प्रतीत माना गया है।

पूर्व में भी विभाग द्वारा Ocean Engineering Department IIT Madras/Bombay/ Kharagpur द्वारा Even विपत्र की जाँच हेतु सहमति ली जानी चाहिए थी जो उनसे सहमति नहीं ली गयी।

वर्षा ऋतु के कारण नदी में अत्यधिक जलश्राव आ जाने के कारण पायलट चैनल को काटकर खोलना भी आवश्यक था। जिसे दिनांक 14.06.11 को पायलट चैनल में नदी के जलश्राव को प्रवाहित करने के लिए काटकर खोल दिया।

अंत में संबंधित अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता को दोषी मानते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध इनके द्वारा किया गया है।

श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की विभागीय समीक्षा की गयी। जिनमें मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया :–

कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर के अनुरोध के बावजूद ड्रेजिंग कार्य का Even एवं अंतिम विपत्र की जाँच हेतु निविदा/एकरारनामा के शर्त के अनुसार IIT संस्थानों अभियंताओं को प्रतिनियुक्त कराने के लिए कार्रवाई नहीं करने का आरोप इनपे प्रमाणित होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पासवान आरोपित पदाधिकारी के मामले में द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत0 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है :–

"पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 03 (तीन) वर्ष के लिए"।

उक्त प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना का सहमति प्राप्त है।

अतः श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है :–

"पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 03 (तीन) वर्ष के लिए"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)618-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in